104/18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 807907

चन्द्रदेव मेमोरियल फाउण्डेशन

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 01.09.2018 को श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री सुकान्त सिंह यादव स्थायी पता– मुहल्ला इनिलिया, पो0–मधुनाथ भंजन, तह0–सदर, जनपद–मऊ द्वारा घोषित किया गया है जिन्हें आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा। न्यासकर्ता संस्थापक के पास रू015000/–पन्द्रह हजार रूपये की राशि है। जिससे कि पुरुषार्थ एवं सामाजिक,सांस्कृतिक भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्था हित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक, उच्च चिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा। जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा । ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) होगा। जिसे कि आगे ट्रस्ट का ट्रस्टी (अध्यक्ष) कहा जायेगा । न्यासकर्ता/ संस्थापक की यह भी इच्छा है कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों से दान उपहार ऋण आदि भी सम्मिलित किया जाए। जिसके द्वारा ट्रस्ट

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2558 कीमत 100/- दीना जारी श्री सुखपाल सिंह आत्मज
श्री इ[illegible], [illegible], म०

[illegible] 01.09.10

[illegible]

DATE

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 807908

के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से आगे बढ़कर सफल हो सके। न्यासकर्ता /संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 15000/- पन्द्रह हजार रूपये की नगद धनराशि ट्रस्ट को प्रदान की है। [illegible] ने इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मुहल्ला इमिलिया, पो0-मऊनाथ भंजन, तह0-सदर, जनपद-मऊ रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।न्यासकर्ता/ ट्रस्टी (अध्यक्ष)/मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है।

चन्द्रदेव मेमोरियल फाउण्डेशन मुहल्ला इमिलिया, पो0-मऊनाथ भंजन, तह0-सदर, जनपद-मऊ (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली-

ट्रस्ट के उद्देश्य :- ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षा संकाय, पुस्तकालय, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्र, छात्रावास

रीता पाठक

Scanned by CamScanner

क्रमांक 25516 कीमत 100/- स्टा.नं. 2555

01.09.18

S.T.O.

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 807909

कम्प्यूटर केन्द्रों, शिविरों सामुदायिक विकास केन्द्रो, प्रशिक्षण केन्द्रों, पर्यावरण एवम जागरूकता उत्थान केन्द्रों की स्थापना, [illegible] विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालित आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हे सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कराना । बी०टी०सी० एवं बी०एड० शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।

2. ग्राम विकास एवं शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना ।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना ।
5. उद्यानीकरण एवं जंगल आदि का विकास करना ।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित कराना ।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।
9. किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना ।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

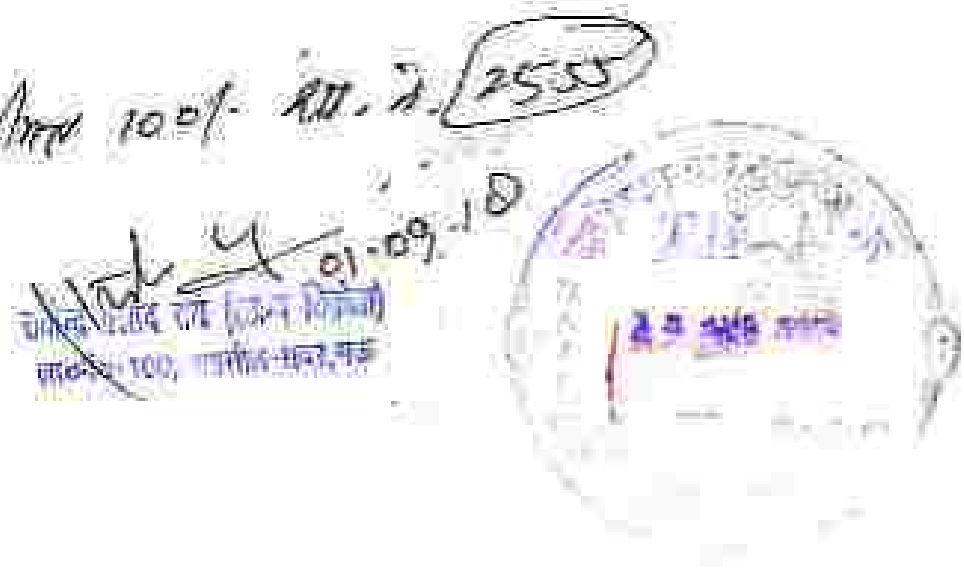

क्रमांक 2557 कीमत 100/- स्टा. वे. 2555

01.09.18

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये　Rs.20

रु.20　TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　37AA 337543

10. पत्थर के खान का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना ।

11. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना ।

12. उपहार के वस्तुओं को निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना ।

13. कबाड़ की सामग्री को इकट्ठा करके फर्नेस भट्टियों का निर्माण करके उसको गलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा । जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है।

14. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार्य बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यों को संचालित करना ।

15. आई टी0आई0 पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेटर, टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथैरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2558 ... 2555

01-09-18

TR-1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337544

16. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फार्म आदि की व्यवस्था करना ।

17. पुस्तकालय वाचनालय पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

18. अन्धे, गूँगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था करना, बाल संरक्षण, विद्यालय संचालित करना व उनके पुर्नवास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना ।

19. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी,सामाजिक, आधुनिक भाषा उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान कराने का प्रबन्ध करना ।

20. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं मे छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना ।

21. साहित्यिक पुस्तकों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन , संपादन प्रकाशन मुद्रण एवं वितरण कार्य करना ।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

पृष्ठांक 2559 ... 2535

01-07-18

TR-1

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये — Rs.20

रु.20 — TWENTY RUPEES

भारत — सत्यमेव जयते — INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 37AA 337545

22. सांस्कृतिक पर्यावरण, एड्स, अधिवेशन गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताओं, बैठकों विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित करना ।

23. भण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों , फलों का भण्डारण कराना तथा उनका क्रय विक्रय कराना ।

24. शीतगृहों का निर्माण कर किसानों के फल, सब्जी, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान करना ।

25. किसानों को खसरा, खतौनी इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ।

26. बैंकिंग का कार्य कराना, लोगों का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रिटर्न देना, उनके पैसों की सुरक्षा प्रदान करना, समय समय पर गृह ऋण, मोटर गाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।

27. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मशीन, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण– प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कराना ।

28. अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई० कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2560 से 2555

01.09.18

TR-1

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये   Rs.20

रु.20   TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   37AA 337546

संचालित करना एवं अन्य ट्रस्ट जो कार्य करने में सक्षम न हों उनको अपने ट्रस्ट में समायोजित कर संचालित करना ।

29. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना ।

30. विधि, सम्पत्ति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना ।

31. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार करना ।

32. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना, पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं जल बचाव से सम्बन्धित सेमिनार करना ।

33. एड्स के बारे में जनजागरण हेतु प्रचार प्रसार करना ।

34. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना ।

35. पुस्तकालय द्वारा अध्ययन, अध्यापन को प्रोत्साहित करना तथा सर्वाधिक आवश्यक व्यवस्थाओं को करना ।

36. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक विषयों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना ।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2561 कोष्ठ स॰ सा॰ रु॰ 2555

01.09.18

TR-1

Scanned by CamScanner

3

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337547

37. डाक्टर, इंजीनियर, कारपेन्टर, फिटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य कराना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके ।

38. कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके।

39. किसानों को उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये नये औजारों को सस्ते दरों में उपलब्ध कराना ।

40. समय–समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूक करना।

41. किसानों को रसायनिक खादों (डाई, यूरिया, पोटाश, जिंक, फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित कराना ।

42. धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार कराना ।

43. श्रम कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना ।

44. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति , पुरस्कार, सहायता, वित्तीय सहायता , स्मृतिचिन्ह आदि प्रदान कराना ।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

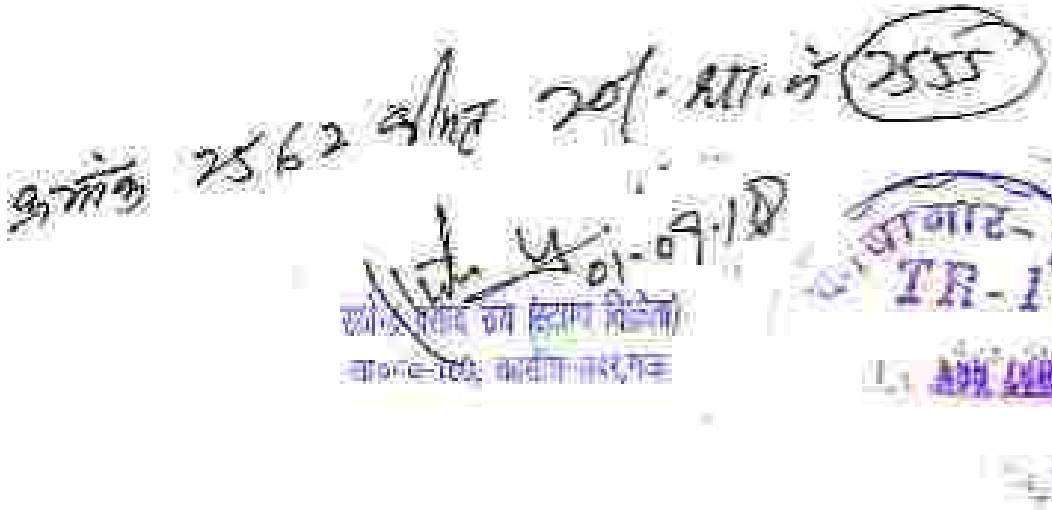

क्रमांक 2562 [illegible] 2555

01-09-18

TR-1

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337548

45. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उनका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।

46. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपने उत्पादित वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड़न्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन आदि प्रचार प्रसार करेगा ।

47. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जनकल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है ।

48. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।

49. सस्ती दरों पर लोगों को सब्जी तथा फल उपलब्ध कराना ।

50. दोपहिया, चार पहिया एवं ई0वी0 वाहन की एजेंसी लेना, अपनी एजेन्सी के माध्यम से सस्ती दरों पर वाहन उपलब्ध कराना, जिससे कम लागत पर अधिक से अधिक लोगों को वाहन उपलब्ध कराया जा सके।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

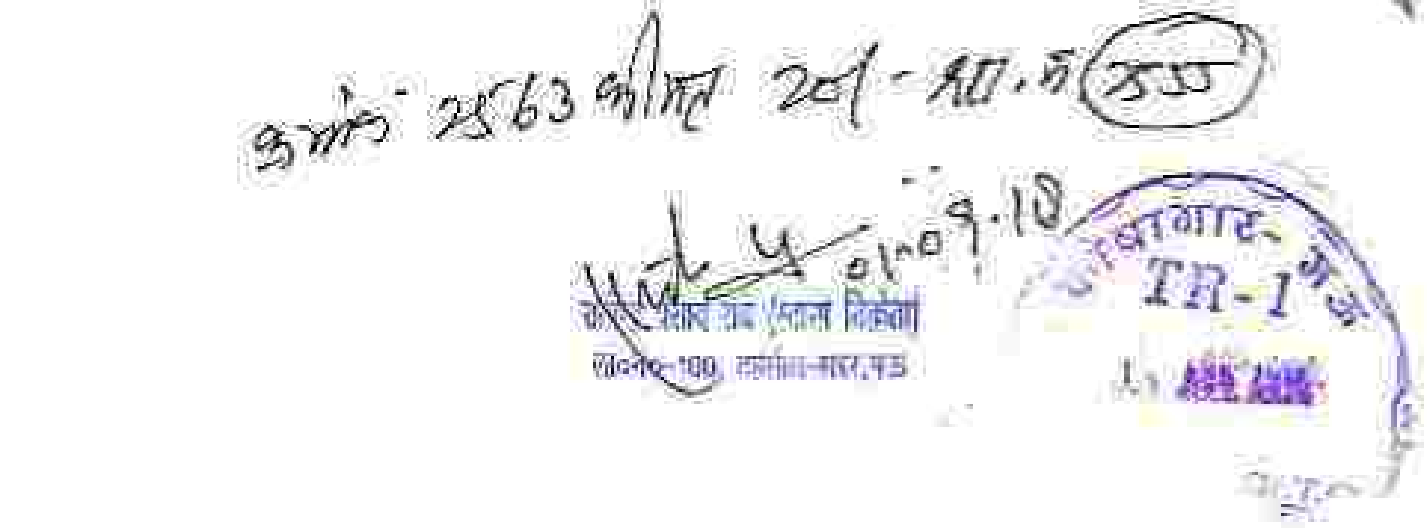

क्रमांक 2563 कीमत 20/- रु.मा. (25)

01/09.18

TR-1

Scanned by CamScanner

10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337549

51. विभिन्न संस्थाओं/ विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कालेज/ इंजीनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार के अनुसार उसे संचालित करना।

2. प्रारम्भिक उपबन्धः–

1. वर्तमान में ट्रस्टडीड के पंजीकृत के दिनांक से श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री सुबास्त सिंह यादव को इस ट्रस्ट का ट्रस्टी (अध्यक्ष) नियुक्त किया जाता है।

2. वर्तमान ट्रस्टी(अध्यक्ष) श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री सुबारा सिंह यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय, तो उस स्थिति व परिस्थिति में इस ट्रस्ट के उत्तराधिकारी इनके पुत्र श्री अवनीश कुमार यादव ट्रस्ट के ट्रस्टी(अध्यक्ष) होंगे।

3. वर्तमान ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपने जीवन काल में ही जब चाहे इस ट्रस्ट का ट्रस्टी(अध्यक्ष) अपने पुत्र श्री अवनीश कुमार यादव को स्थानान्तरित कर सकती है।

4. भविष्य में इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपने पुत्र व पुत्री को ही रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) बना सकते हैं। अथवा इनके पुत्र व पुत्री न होने पर सुयोग्य सदस्यों को इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) बना सकते है।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2564 ... 2555

01.01.

R-1

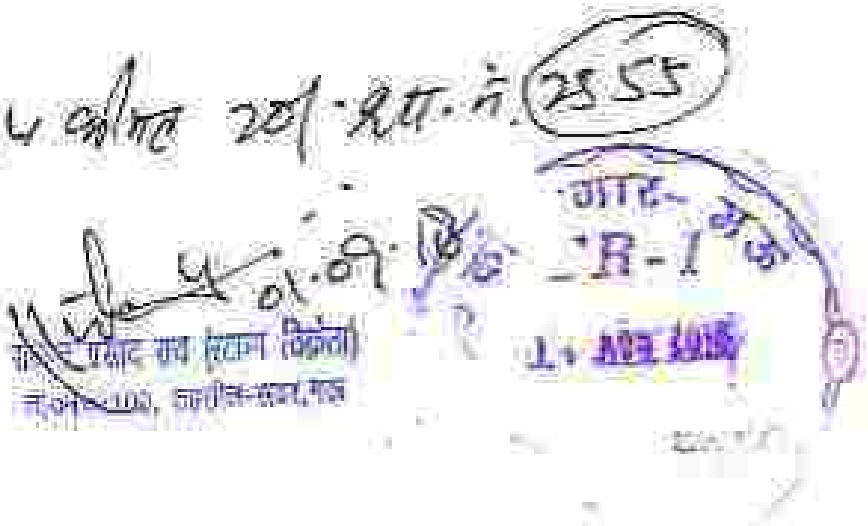

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337550

3.मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/ स्थानान्तरण–

1. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का उत्तराधिकारी उनके पुत्र श्री अवनीश कुमार यादव होंगे ।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का पद अपने पुत्र अवनीश कुमार यादव को प्रदान कर सकती है।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) को प्रदत्त किये गये है।
4. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा। ।
5. वर्तमान ट्रस्टी (अध्यक्ष) की आकस्मिक की स्थिति में उनके पुत्र श्री अवनीश कुमार यादव की इच्छा/ व्यवस्था अन्तिम रूप से इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) के रूप में मान्य होगें।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

2555

01-09-18

TR-1

Scanned by CamScanner

12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337551

4.बोर्ड आफ ट्रस्टीज:-

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि न्यूनतम 09 सदस्य व अधिकतम 21 सदस्य होंगे ।

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी व्यक्ति को सदस्य मनोनित करते समय उसका कार्यकाल निश्चित करेगा । सदस्य की कार्यावधि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) की इच्छा पर निर्भर करेगा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये सदस्य के पद से हटा सकते है।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) प्राय भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकते है जिसकी अध्यक्ष ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं करेंगे ।
3. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) की इच्छा एवं विवके

रीता यादव

Scanned by CamScanner

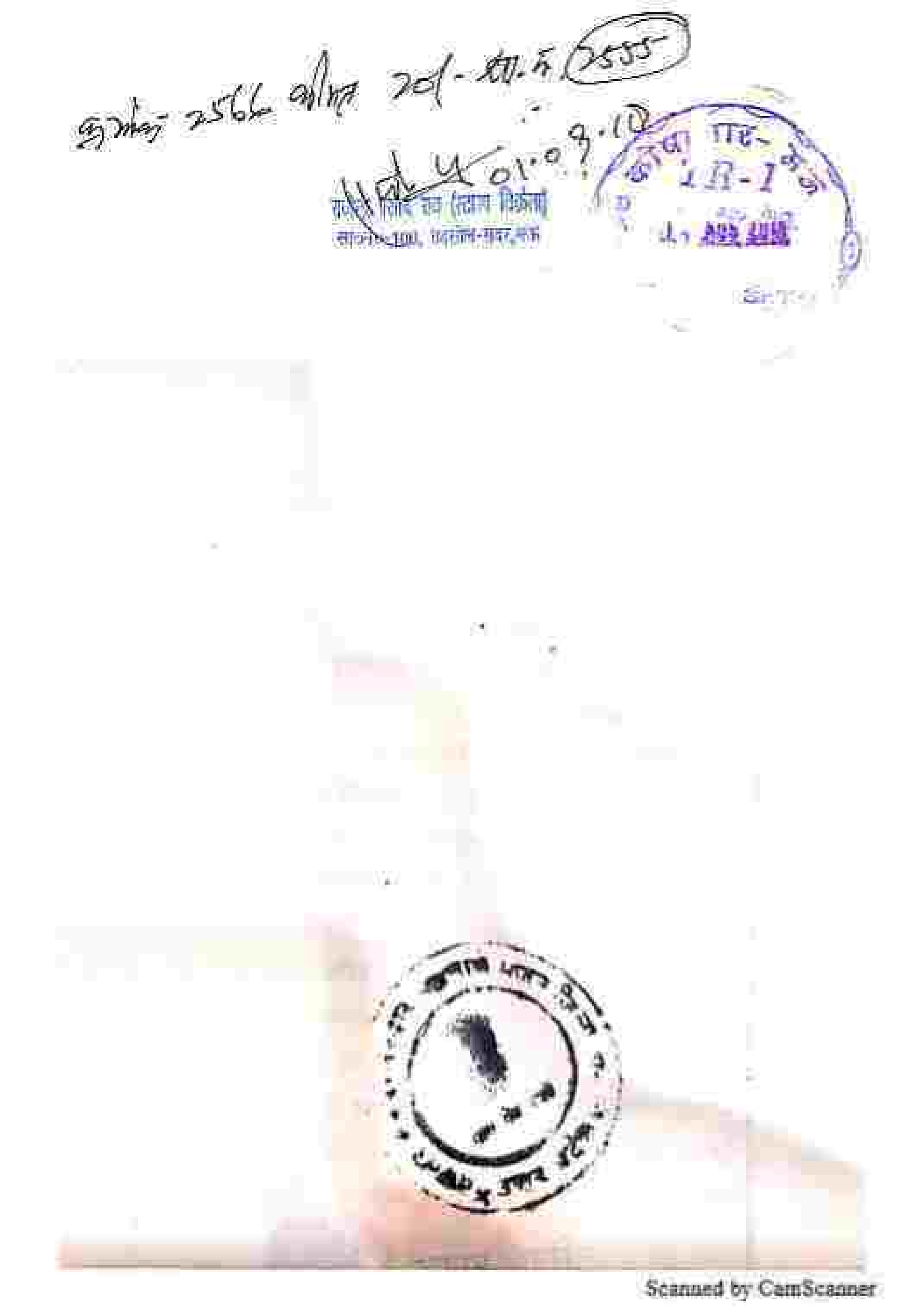

क्रमांक 2566 कीमत 20/- स्टा.नं. 2555

01.08.18

Scanned by CamScanner

13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337552

पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

8.मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) का कार्यकाल एवं सुविधाएं--

1. यह कि ट्रस्टी (अध्यक्ष) को विभिन्न सुविधाओं से युक्त ट्रस्ट के कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।
2. यह कि ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय / भत्ते आदि प्राप्त पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी (अध्यक्ष) ट्रस्ट के द्वारा की गयी आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ।

9.कार्यक्षेत्र--

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्र.सं. 2567 201 2555

01.09.18

कोषागार TR-1

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337553

7.मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का विशेषाधिकारः–

मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/ स्वीकृत/ अस्वीकृत/ संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा ।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्तिः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) जो दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्टी (अध्यक्ष) को आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकता ।
2. यह कि उपाध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के अनुसार सभा ही कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधि/ अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित / प्रदान कर सकता है।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

01-09-18

कोषागार
TR-1

Scanned by CamScanner

15

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337554

1. यह कि उक्त उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुविधाएं मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा निश्चित किये जायेगें।

9. सचिव की नियुक्ति :—

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकता ।

2. यह कि उक्त सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा निश्चित किये जायेगें ।

3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के अनुग्रह तक ही कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध / प्रशासनिक विधि/ अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2569 ... 201- ... (2055)

01-09-12

TR-1

Scanned by CamScanner

16

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337555

10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी (अध्यक्ष) को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी (अध्यक्ष) के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना ।
2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/ परिवर्तन कर सकता है जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा ।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) के अनुपस्थिति में सारे कार्य की देखरेख उपाध्यक्ष करेगा । आन्तरिक विस्तार के लिए ट्रस्टी (अध्यक्ष) और भी सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है।

11. बैंक एकाउण्ट:-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं द्वारा खोला एवं संचालित किया जा सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय /संस्थान केन्द्र/ कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति में ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं द्वारा खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

12. विधिक कार्यवाही:-

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी के लिए किसी को अधिकृत कर सकता है।

रीता पाण्डेय

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2570 [illegible] 201 - [illegible] 2555

[illegible]

प्रतिफल: 13000 स्टाम्प शुल्क: 100 [illegible]

श्रीमती रीता यादव,
पत्नी श्री सुभाष सिंह यादव
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: [illegible]

रीता यादव

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 01/05/2018 समय 02:11:20 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]
01/05/2018

[illegible]
वरिष्ठ सहायक (निबंधन), [illegible]

17

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337554

13. सम्पत्ति सम्बन्धी:-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक /व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की चल/ अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/ लेख विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं कर सकता है।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी से ऋण, दान, उपहार, अनुग्रह भेंट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त स्वयं कर सकता है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) ट्रस्ट के धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी भी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/ सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
5. ट्रस्ट के चल एवं अचल सम्पत्तियों के क्रय विक्रय के दौरान ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं निर्णय ले सकता है।
6. वर्तमान में ट्रस्ट की रू0 15000/- (रू0 पन्द्रह हजार) की पूंजी से स्थापना हुई है जिस पर नियमानुसार मु0 600/- रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। उक्त पूंजी के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

14. विशेष: मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) कोई भी निर्णय स्वयं ले सकते है जो कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज को सर्वमान्य होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये है।

रीता यादव

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2571 [illegible] स्टा.नं. 2555

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

[illegible]

1-09-[illegible]

श्रीमती रीता माथुर, [illegible]

निवासी: [illegible] 100, [illegible]

व्यवसाय: गृहिणी

रीता माथुर

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रमाकान्त, पुत्र श्री [illegible]

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री [illegible], पुत्र श्री [illegible]

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी

[illegible]
उप निबंधक : [illegible]
[illegible]

[illegible] प्रसाद [illegible]
वरिष्ठ सहायक [illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 337557

उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

रीता यादव

साक्षीगण

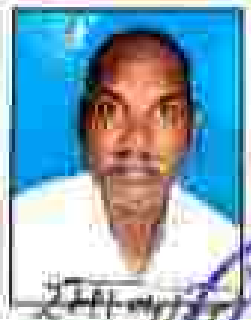

1. नाम

पिता का नाम–

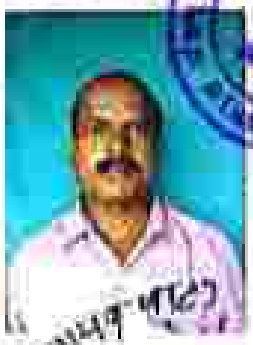

पता

रमाकान्त पुत्र शिवबोध
ग्राम खानपुर पो. मुहम्मदाबाद
जिला गाजीपुर
8004714912

2. नाम–

पिता का नाम-

पता

रमापति यादव पुत्र बहादुर यादव
ग्रा+पो. ... जिला गाजीपुर
...
8005484216

दिनांक– 1-9-2018

मसविदाकर्ता– रूपदेव यादव ...

टाईपकर्ता– रामपति यादव

Scanned by CamScanner

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 62 के पृष्ठ 341 से 376 तक क्रमांक 104 पर दिनांक 01/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(नवनीत प्रभारी)
उप निबंधक : सदर
मऊ
01/09/2018

Scanned by CamScanner

बैठक

दिनांक - 01-11-2023

आज दिनांक 01-11-2023 को अपराह्न 3:30 बजे ट्रस्टी (अध्यक्ष) महोदय की अध्यक्षता में ट्रस्ट अजीत मेमोरियल फाउण्डेशन ग्रा. लौकिया, पोस्ट- [illegible] अहीरौली, जिला- मऊ के [illegible] के [illegible] हेतु [illegible] पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति में बैठक [illegible] के अनुसार [illegible] पर [illegible] हुआ जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।

1- ट्रस्टी (अध्यक्ष) महोदया श्रीमती रीता यादव [illegible] श्री सुग्रीव सिंह यादव ग्रा. लौकिया पोस्ट- [illegible] अहीरौली, जिला- मऊ द्वारा अपने [illegible] पर [illegible] 01-11-2023 [illegible] ट्रस्ट [illegible] ट्रस्टी (अध्यक्ष) पद पर [illegible] किया गया है।

2- ट्रस्ट के [illegible] पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा ट्रस्ट के [illegible] ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी [illegible] ट्रस्ट के नियमानुसार [illegible] के अनुसार [illegible] ट्रस्टी (अध्यक्ष) का [illegible] पद [illegible] निर्णय लिया गया।

रीता यादव
ट्रस्टी (अध्यक्ष)
अजीत मेमोरियल फाउण्डेशन
लौकिया-मऊ

पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम — हस्ताक्षर

01-	श्री राम विलास यादव	(उपाध्यक्ष)	राम विलास यादव
02-	" सुग्रीव सिंह यादव	(सचिव)	[illegible]
03-	" राम चन्द्र यादव	(सदस्य)	[illegible]
04-	" मनोज यादव	(सदस्य)	मनोज यादव
05-	" धीरेन्द्र चौरसिया	(सदस्य)	धीरेन्द्र चौरसिया
06-	श्रीमती सीमा यादव	(सदस्य)	[illegible]
07-	श्री जय प्रकाश यादव	(सदस्य)	जय प्रकाश यादव
08-	" अखिलेश यादव	(सदस्य)	अखिलेश यादव
09-	" हरिश्चन्द्र यादव	(सदस्य)	हरिश्चन्द्र यादव
10-	" अवनीश कुमार यादव	(सदस्य)	[illegible]

रीता यादव
ट्रस्टी (अध्यक्ष)
अजीत मेमोरियल फाउण्डेशन
लौकिया-मऊ

बैठक की कार्यवाही

(38)

दिनांक - 01-11-2023

आज दिनांक 01-11-2023 को ट्रस्टी (अध्यक्ष) महोदया की अध्यक्षता में [illegible] पर ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुआ जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय [illegible] पारित किया गया।

1- ट्रस्टी (अध्यक्ष) श्रीमती रीता यादव द्वारा अपने [illegible] पर दिनांक 01-11-2023 को ट्रस्टी (अध्यक्ष) पद [illegible] की गयी है, जिससे ट्रस्ट के [illegible] पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा ट्रस्ट के नियमानुसार [illegible] ट्रस्टी (अध्यक्ष) पद का उत्तराधिकारी [illegible] श्री अखिलेश कुमार यादव [illegible] श्री सुग्रीव सिंह यादव ग्रा.- लौकिया, पोस्ट- [illegible] अहीरौली, जिला- मऊ [illegible] ट्रस्टी (अध्यक्ष) [illegible] पद [illegible] की गयी है।

2- ट्रस्ट के [illegible] ट्रस्टी (अध्यक्ष) श्री अखिलेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 01-11-2023 को [illegible] ट्रस्ट अजीत मेमोरियल फाउण्डेशन ग्रा.- लौकिया, पोस्ट- [illegible] अहीरौली, जिला- मऊ के ट्रस्टी (अध्यक्ष) के पद का [illegible] ग्रहण कर लिया गया है।

[illegible]
ट्रस्टी (अध्यक्ष)
अजीत मेमोरियल फाउण्डेशन
लौकिया-मऊ

पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम — हस्ताक्षर

01-	श्रीमती रीता यादव	(अध्यक्ष)	रीता यादव
02-	श्री राम विलास यादव	(उपाध्यक्ष)	राम विलास यादव
03-	" सुग्रीव सिंह यादव	(सचिव)	[illegible]
04-	" राम चन्द्र यादव	(सदस्य)	राम चन्द्र यादव
05-	" मनोज यादव	(सदस्य)	मनोज यादव
06-	" धीरेन्द्र चौरसिया	(सदस्य)	धीरेन्द्र चौरसिया
07-	श्रीमती सीमा यादव	(सदस्य)	[illegible]
08-	श्री अखिलेश यादव	(सदस्य)	अखिलेश यादव
09-	" हरिश्चन्द्र यादव	(सदस्य)	हरिश्चन्द्र यादव
10-	" जय प्रकाश यादव	(सदस्य)	जय प्रकाश यादव

ट्रस्टी (अध्यक्ष)
अजीत मेमोरियल फाउण्डेशन
लौकिया-मऊ